कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/15/2025

श्री जियालाल डागुर पुत्र स्व0 ख्यालीराम निवासी अजीतनगर (न0 धरसौनी) तहसील वैर जिला भरतपुर राज0 पिन 321028

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वैर ...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 21.05.2025

आदेश

अपीलार्थी श्री जियालाल डागुर पुत्र स्व0 ख्यालीराम निवासी अजीतनगर (न0 धरसौनी) तहसील वैर जिला भरतपुर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वैर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वैर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/391 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वैर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने अथवा नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वैर से पत्र क्रमांक पंजीयन/2025/23 दिनांक 13.05.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव पर गौर किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में उल्लेख किया है कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/पंजीयन/2025/02 दिनांक 08.04.2025 द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में सूचित किया जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी ने जरिये पत्र प्रार्थी को सूचित किया गया है कि:–

> "........आप द्वारा दिनांक 01.01.2017 से 28.02.2025 तक कार्यालय हाजा द्वारा ग्राम पंचायत धरसौनी की ओर जारी किये गये पट्टों के पंजीकरण का अवलोकन चाहा गया है अतः आप कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर निरीक्षण शुल्क 50 रूपये प्रति वर्ष का चालान जमा कर पंजीकरण पट्टों का अवलोकन कर सकते हैं तथा चिन्हित किये गये दस्तावेजों की छायाप्रति नकल प्रार्थना पत्र के साथ नकल शुल्क 100 रूपये का स्टाम्प

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

एवं 100 रूपये का चालान संलग्न कर कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।......''

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब एवं संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सूचना शुल्क जमा करायी जाकर सूचना प्राप्त किये जाने हेतु जरिये पत्र सूचित किया जा चुका है।

जहॉ तक प्रश्न प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा बी.पी.एल. कार्ड धारक होने के कारण सूचना निशुल्क दिये जाने का है, इस सन्दर्भ में नियमों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (3) में शुल्क के सन्दर्भ में प्रावधान दिया हुआ है कि :–

Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving--

अस्तु अपीलान्ट को सूचना (पंजीयन सम्बन्धी) दस्तावेजों की नकलों के लिये वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 09.04.2010 के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार नकल शुल्क देय होगा।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा पंजीयन सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त करने हेतु नियमानुसार फीस जमा कर सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को लिखा गया है जो न्यायोचित है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। साथ ही प्रार्थी / अपीलार्थी को भी निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं कि वह नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कर लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से नकल प्राप्त कर सकते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर एवं अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर